



POLICE COMMISSIONERATE



GAUTAM BUDH NAGAR

सराहनीय कार्य /प्रेस विज्ञप्ति - दिनांक 25.04.2025

1.थाना सेक्टर-49 पुलिस द्वारा दुपहिया वाहन चोरी करने वाले 02 चोर गिरफ्तार, कब्जे/निशादेही से चोरी की 02 मोटरसाइकिल व 01 स्कूटी मय फर्जी नम्बर प्लेट बरामदा

कार्यवाही का विवरण-- दिनांक 25.04.2025 को थाना सेक्टर-49 पुलिस द्वारा लोकल इंटेलिजेंस की सहायता से चेकिंग के दौरान दुपहिया वाहन चोरी करने वाले 02 चोर 1.नदीम पुत्र नसीम 2.रविन्द्र पुत्र ऋषिपाल को सेक्टर-76 मेट्रो स्टेशन पेट्रोल पम्प के पास से **गिरफ्तार** किया गया है। अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी की 02 मोटरसाइकिल व 01 स्कूटी मय फर्जी नम्बर प्लेट बरामद हुई है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण--

1. नदीम पुत्र नसीम निवासी जेजे कॉलोनी, थाना बवाना, दिल्ली उम्र 32 वर्ष।
2. रविन्द्र सैनी पुत्र ऋषिपाल सैनी निवासी छिजारसी, थाना सेक्टर-63, नोएडा उम्र 19 वर्ष।

पंजीकृत अभियोग/अपराधिक इतिहास का विवरण--

A.अभियुक्त नदीम--

1. मु0अ0सं0 2708/2018 धारा 25 आर्म्स एक्ट थाना कविनगर, गाजियाबाद।
2. मु0अ0सं0 2710/2018 धारा 411/414 भादवि0 थाना कविनगर, गाजियाबाद।
3. मु0अ0सं0 0092/2025 धारा 303(2),317(2) बीएनएस0 थाना सै0-49, गौतमबुद्धनगर।
4. मु0अ0सं0 0131/2025 धारा 317(5)/317(2)/345(3) एक्ट थाना सै0-49, गौतमबुद्धनगर।

B.अभियुक्त रवीन्द्र सैनी--

1. मु0अ0सं0 0092/2025 धारा 303(2),317(2) बीएनएस0 थाना सै0-49, गौतमबुद्धनगर।
2. मु0अ0सं0 0131/2025 धारा 317(5)/317(2)/345(3) एक्ट थाना सै0-49, गौतमबुद्धनगर।

बरामदगी का विवरण--

1. एक मोटरसाइकिल टीवीएस रजि0नं0 यूपी 16 डी.एम 7224 (चोटपुर कॉलोनी थाना सेक्टर-63 नोएडा से चोरी)
2. एक मोटरसाइकिल रजि0नं0 यूपी 16 ए.जेड 2229 सम्बन्धित मु0अ0सं0 92/2025 धारा 303(2), 317(2) बीएनएस थाना सेक्टर-49 नोएडा।

3. एक स्कूटी रजि०नं० यूपी 16 सी.आर 9346 सम्बन्धित मु०अ०सं० 75/2025 धारा 303(2) बीएनएस थाना फेस-1 नोएडा।
4. एक फर्जी नम्बर प्लेट

2.थाना साइबर क्राइम गौतमबुद्धनगर पुलिस द्वारा 01 साइबर अपराधी गिरफ्तार

कार्यवाही का विवरण-- दिनांक 25-04-2025 को थाना साइबर क्राइम नोएडा पुलिस ने लोकल इंटेलिजेंस एवं गोपनीय सूचना के आधार पर कार्यवाही करते हुये वादी के साथ अभियुक्त द्वारा वादी की चैरिटेबल संस्था का कोषाध्यक्ष रहते हुए बैंकिंग पासवर्ड व यूजर आईडी पासवर्ड व खाते का एक्सिस साइबर अपराधी को देकर उक्त खाते में लगभग 04 करोड रुपये की धोखाधड़ी की धनराशि प्राप्त कर अनुचित उपभोग किया गया।

जिसके सम्बन्ध में थाना साइबर क्राइम नोएडा जनपद गौतमबुद्धनगर पर अभियोग पंजीकृत किया गया। विवेचना से प्राप्त साक्ष्य के आधार पर 01 अभियुक्त रजनीश पुत्र ओमप्रकाश (चैरिटेबल संस्था का खाता देने वाला एकाउंटेंट) को कस्बा बिलासपुर से गिरफ्तार किया गया है।

घटना का संक्षिप्त विवरण-- वादी द्वारा थाना स्थानीय पर मु०अ०सं० 81/2023 धारा 420 भादवि व 66 सी आईटी एक्ट का अभियोग पंजीकृत कराया गया। वादी द्वारा संचालित की जा रही चैरिटेबल वैलफेयर सोसायटी संस्था के कोषाध्यक्ष के द्वारा वादी के उक्त चैरिटेबल संस्था के बैंक खाते का नेट बैंकिंग, अकाउंट से सम्बन्धित आईडी पासवर्ड व खाते का एक्सिस साइबर अपराधी को पैसा लेकर बेच दिया।

जिस पर साइबर अपराधी द्वारा उक्त चैरिटेबल संस्था के बैंक खाते का इस्तेमाल कर साइबर अपराध से सम्बन्धित धनराशि देश के विभिन्न राज्यों से लेनदेन में प्रयोग कर धोखाधड़ी से सम्बन्धित धनराशि प्राप्त की गयी एवं जिसका अनुचित उपभोग किया गया। उपरोक्त खाते के विरुद्ध एनसीआरपी पोर्टल पर 149 शिकायतें विभिन्न राज्यों से दर्ज हैं।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण--

1. रजनीश पुत्र ओमप्रकाश नि० मौहल्ला आलमखानी कस्बा बिलासपुर थाना दनकौर जनपद गौतमबुद्ध नगर (अकाउंटेंट)

नोट:- साइबर जागरूकता सुझाव--

1. साइबर से सम्बन्धित किसी समस्या के लिये साइबर क्राइम हेल्पलाइन नम्बर 1930 अथवा साइबर क्राइम की वेबसाइट www.cybercrime.gov.in पर अपनी शिकायत दर्ज करें।
2. क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, पैन कार्ड व आधार कार्ड अपडेट करने के लिये बैंक कोई लिंक नहीं भेजा जाता है
3. अपने खाते का विवरण/पासवर्ड और यूपीआई से सम्बन्धित जानकारी किसी भी व्यक्ति के साथ साझा न करे अन्यथा दुरुपयोग हो सकता है।

3.थाना सेक्टर 113 पुलिस द्वारा गांजा तस्कर 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 01 किलो 160 ग्राम गांजा, घटना में प्रयुक्त सेंट्रो कार व इलेक्ट्रानिक कांटा बरामदा

कार्यवाही का विवरण-- दिनांक 25.04.2025 को थाना सेक्टर-113 नोएडा पुलिस द्वारा लोकल इंटेलिजेंस एवं गोपनीय सूचना के आधार पर कार्यवाही करते हुये मु0अ0सं0 280/24 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत वांछित अभियुक्त चिन्टू ठाकुर पुत्र गंगा सिंह को एफएनजी कट के पास से **गिरफ्तार** किया गया है। कब्जे से 01 किलो 160 ग्राम गांजा, घटना में प्रयुक्त सेंट्रो कार व इलेक्ट्रानिक कांटा बरामदा।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण--

1. चिन्टू ठाकुर पुत्र गंगा सिंह निवासी गली नं0 8 ग्राम सदरपुर सेक्टर 45 नोएडा उम्र करीब 25 वर्ष।

पंजीकृत अभियोग व आपराधिक इतिहास का विवरण--

1. मु0अ0सं0 193/2025 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना सेक्टर-113 गौतमबुद्धनगर
2. मु0अ0सं0 280/24 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना से0 113 गौतमबुद्धनगर
3. मु0अ0सं0 564/19 धारा 354/506 भादवि थाना से0 39 गौतमबुद्धनगर
4. मु0अ0सं0 936/21 धारा 10 उ0प्र0 गुण्डा एक्ट थाना से0 39 गौतमबुद्धनगर
5. मु0अ0सं0 594/23 धारा 8/20 एनडीपीएस अधि0 थाना बीटा-2 गौतमबुद्धनगर
6. मु0अ0सं0 84/22 धारा 60/63 आबकारी अधि0 थाना से0 142 गौतमबुद्धनगर

बरामदगी का विवरण--

1. 01 किलो 160 ग्राम गांजा,
2. घटना में प्रयुक्त सेंट्रो कार रजि0 नम्बर डीएल 4 सीए क्यू 1347
3. इलेक्ट्रानिक कांटा बरामदा।